न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 42 / 2022

1 सुधा आयु 35 साल स्त्री सुनिल जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 प्राप्ति आयु 9 साल पुत्री अनिल जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं नाबालिक जरिये माता सुमन देवी स्त्री अनिल जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2 जयश आयु 6 साल पुत्री अनिल जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये माता सुमन देवी स्त्री अनिल जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3 अनिल पुत्र सन्तकुमार जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4 सन्तकुमार पुत्र मुंगाराम
5 रामकुमार पुत्र मुंगाराम
6 प्रहलाद पुत्र मुंगाराम
जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7 रामप्यारी पुत्री मुंगाराम
8 सन्तोष पुत्री मुंगाराम
9 सुभिता पुत्री मुंगाराम जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
10 सुनिल पुत्र सन्तकुमार जाति जाट निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
11 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लि. झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
12 उप पंजीयक मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
13 राजस्थार सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
14 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ेला जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर
मुकदमा उनवानी प्राप्ति बनाम अनिल प्रार्थना पत्र संख्या
मु.नं. 24/2016 निर्णय दिनांक 08.03.2022 प्रार्थना पत्र
अ.धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत
आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं 151 जा.दिवानी

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जयप्रकाश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 12/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 2 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 703/870, 729, 730/839, 735, 729, 737, 741, 763, 771, 772, 373, 373/929, 715 वाके ग्राम हंसासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत तथ्य है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 4.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 373/929 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 715 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 3 कुल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रकबा 4.36 हैक्टेयर भूमि निर्मला देवी ने जरिये विक्रय पत्र नारायणसिंह से क्रय की थी तथा उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड निर्मला देवी के नाम था यह स्वीकृत तथ्य है कि निर्मला देवी दिनांक 07.12.2015 को मृत्यु हो चुकी है। निर्मला देवी ने उक्त भूमि आभुषण विक्रय करके तथा अपने भाई से कुछ रूपये लेकर खरीदी थी इसलिये उक्त भूमि निर्मला की स्व. अर्जित भुमि रही इस तथ्य की जवाब देही निर्मला देवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष की है। इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया। निर्मला देवी दिनांक 04.06.2013 को अपील में वर्णित भूमि का वसीयत नामा अपीलार्थीया के नाम पंजीयक मलसीसर के यहां तस्दीक करवा दिया उक्त वसीयतनामा आज दिनांक तक अस्तित्व में है। विचारण न्यायालय अपील में वर्णित भूमि बाबत स्थगन का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में गलती कानूनी की है उक्त भूमि निर्मला देवी की स्व. अर्जित भूमि थी जिसकी वह आत्यंतिक रूप से स्वामी है उक्त भूमि कि निर्मला देवी **Absolut owner** थी जिसको भूमि की वसीयत करने का अधिकार था विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर न करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नम्बर 2 ने कोई जवाब देही नहीं की फिर भी विचारण न्यायालय ने उक्त भूमि बाबत स्थगन जारी करने में गलती कानूनी की है। कानून की स्थिति यह है कि हिन्दु नारी की सम्पति उसकी आत्यंतिक अपनी सम्पति होगी इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि पैतृक सम्पति होने या ना होने का तथ्य मूलवाद में किया जाना है। कानून की स्थिति यह है कि हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यांतिक सम्पति है। पैतृक सम्पति नहीं हो सकती। फिर भी विचारण न्यायालय ने अपील मे दर्ज़ सम्पति बाबत स्थगन जारी करने में गलती कानूनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1999 पेज 493, आरआरटी 2011–12 सप्ली. पेज 531, आरआरटी 2019(1) पेज 113 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने मूलवाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। मूलवाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने से दोनों पक्षों के हक हकुक पर कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा साथ ही केवल रिकार्ड की यथास्थिति अपूरणीय क्षति का कारक नहीं बनता है बल्कि वादग्रस्त भूमि के खुर्द बुर्द होने से वाद में ओर जटिलता होने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर मूलवाद में जटिलता ना हो और दोनों पक्षो में शांति बनी रहे इसके लिए मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने में कोई प्रतिकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। जहां तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के पैतृक संपत्ति होने अथवा नहीं होने का है, उसका विचारण मूलवाद में किया जाना है। रिकार्ड की यथास्थिति भूमि के स्वामित्व अथवा पैतृक संपति होने या नहीं होने का निर्धारण नहीं करती। विचारण न्यायालय द्वारा नाबालिग प्रार्थीगण के पक्ष में विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार पूनिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)